

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2016/3863-96 जयपुर,दिनांक 20.3.2018

जिला कलेक्टर,
बाडमेर, जोधपुर, जालोर,
पाली, सिरोही, राजस्थान।

विषय:—खरीफ फसल 2017 (सम्बत् 2074) में बाढ़ प्रभावित किसानों को
कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के
सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर
कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:—

1. जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता से पहले केवल 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा
वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध
कराई जावेगी।
2. जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित
मापदण्डानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सहकारी समितियों
के बजाय सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया
जायेगा।
3. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:—
जिला स्तरीय समिति:—जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन
किया जाएगा, जो कि जिले में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी।
समिति में MDCCB, कृषि एवं लीड बैंक ऑफिसर्स व DLBC के मैम्बर्स होंगे। इस
समिति के द्वारा इस योजना के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों
का निस्तारण किया जायेगा।



